हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज		नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.02.2020	उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थीगण ओमप्रकाश, बृजलाल पुत्रान मादरराम जाति खाति निवासी किशनपुरा दिखनादा द्वारा दिनांक 14.06.2019 को प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम चक 18 के.एस.पी. के खाता संख्या 50 / 43 की 4.554 हैक्टर भूमि मे से 1.012 हैक्टर भूमि है, जिसमें काश्त हेतु आवागमन बाबत रास्ता नही होने से अप्रार्थीगण के भूमि चक 18 के.एस.पी. के खाता संख्या 149 / 134 विद्यादेवी बेगराह के पत्थर नम्बर 132 / 321 (4) के किला नम्बर 14 के उत्तरी–पूर्वी सिरे पर 16–1 / 2 फुट चौडा व 16–1 / 2 फुट लम्बा अर्थात 0.0025 हैक्टर रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे। व इस रास्ते के बदले मे प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि चक 18 के.एस.पी. खाता संख्या 50 / 43 मे पत्थर नम्बर 132 / 321 (4) के किला नम्बर 7 मे दक्षिणी सिरे पर 0.0025 हैक्टर भूमि मुआवजा स्वरूप अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जानें के आदेश फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 24.06.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि में प्रवेश हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पत्थर नम्बर 132 / 321 (4) के किला नम्बर 14 में उत्तरी पूर्वी कोनें पर 16–1 / 2 फुट चौडा व 16–1 / 2 फुट लम्बा अर्थात 0.0025 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किये जाने पर अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। तथा इस 0.0025 हैक्टर भूमि के बदले पत्थर नम्बर 132 / 321 (4) के किला नम्बर 7 मे दक्षिणी सिरे पर इनती ही भूमि 0.0025 हैक्टर मुआवजा स्वरूप प्राप्त करनें हेतु सहमत है। प्रकरण के सन्दर्भ मे उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार हनुमानगढ की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रकरण में पक्षकारान में कोई प्रतिवाद न होकर रास्ते की सहमति होनें तथा तहसीलदार हनुमानगढ की रिपोर्ट में भी कोई अन्यथा टिप्पणी नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जानें पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर पत्थर नम्बर 132 / 321 (4) के किला नम्बर 14 में उत्तरी पूर्वी कोनें पर 16–1 / 2 फुट चौड़ा व 16–1 / 2 फुट लम्बा अर्थात 0.0025 हेक्टर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तथा रास्ते की भूमि के बदले में मुआवजा स्वरूप प्रार्थी संख्या 2 के नाम खाता संख्या 53 / 43 में 0.506 हैक्टर भूमि में से 0.0025 हैक्टर भूमि कम की जाकर पत्थर नम्बर 132 / 321 (4) के किला नम्बर 7 मे दक्षिणी सिरे पर 0.0025 हैक्टर अप्रार्थीगण के नाम की राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (कपिल यादव) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलेक्टर हनुमानगढ़	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.03.05 16:23:17 IST
Reason: SelfAttested